उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

वेबसाइट–www.psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या–A-1/Est/Rakshak/2023 दिनांक 13 जनवरी, 2023

रक्षक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा–2023

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	13 जनवरी, 2023
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	02 फरवरी, 2023 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क –Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	02 फरवरी, 2023 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश

1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अवश्य करें। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र, ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 02 फरवरी, 2023 तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

2. **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।** अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। **विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि नहीं होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।**

3. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन–पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4. फर्जी प्रमाण–पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (Debar) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

5. आयोग में ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन–पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. प्रश्नगत् परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं ऑनलाइन शुल्क **[Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI]** के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।

8. अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (cancel) कर, पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के आवेदन शुल्क के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा।

9. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए, अन्तिम तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन–पत्र भर लें।

10. प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (अर्हकारी प्रकार) का आयोजन किया जाएगा। रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त होने की दशा में न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा से पूर्व हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर के परीक्षा केन्द्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में किया जाएगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है।

11. **अभ्यर्थियों की संख्या कम होने की दशा में लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन केवल हरिद्वार नगर में किया जायेगा तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की दशा में परीक्षा केन्द्र के नगरों में संशोधन किया जा सकता है।**

12. लिखित परीक्षा एवं न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा की तिथियों, प्रवेश–पत्र एवं अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** तथा दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

13. अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा में श्रेणीवार लिखित परीक्षा के न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–2** पर उपलब्ध है।

14. अभिलेख सत्यापन सूची हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे से संबंधित अभिलेखों यथा शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा मूल अभिलेखों के साथ मिलान किया जाएगा।

15. न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

16. आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र/अभिलेख को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट व दैनिक समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी। **अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई–मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से भी प्रेषित की जायेंगी, इसलिये अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई0डी0 भरें। अभ्यर्थी भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।**

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत रक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

01. रिक्तियों का विवरण : कुल पद– 02

(क) ऊर्ध्वाधर श्रेणीवार (Vertical Reservation) रिक्तियां –

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	योग
00	00	00	00	02	02

(ख) क्षैतिज श्रेणीवार (Horizontal Reservation) रिक्तियां –

उत्तराखण्ड के डी0एफ0एफ0	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड के दिव्यांग	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	उत्तराखण्ड महिला
00	00	00	00	01

नोटः–1. रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।
2. प्रश्नगत पद दिव्यांगता की किसी भी उपश्रेणी हेतु चिह्नांकित नहीं है।

02. अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएं :–

(क) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता –

रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड से हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ख) अधिमानी अर्हता –

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी : राष्ट्रीय कैडेट कोर के 'सी' प्रमाण–पत्र धारक अभ्यर्थी को 'बी' प्रमाण–पत्र धारक अभ्यर्थी पर वरीयता दी जायेगी।

03. न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड :–

(क) (पुरूष अभ्यर्थी हेतु अपेक्षित शारीरिक स्वस्थता मानकों में सम्मिलित ऊँचाई और सीने का माप)

1	पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर– सामान्य / पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के लिये	165 सेंटीमीटर– 5′5″
2	सीना	78.8 सेंटीमीटर
3	सीना फुलाने के पश्चात	83.8 सेंटीमीटर
4	पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई	160 सेंटीमीटर– 5′3″
5	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई	157.5 सेंटीमीटर– 5′2″

(ख) (महिलाओं हेतु अपेक्षित शारीरिक स्वस्थता मानकों में सम्मिलित ऊँचाई और वजन की माप)

सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग	152 सेंटीमीटर
अनुसूचित जनजाति	147 सेंटीमीटर
पर्वतीय क्षेत्र	147 सेंटीमीटर
शारीरिक वजन	45 कि0ग्रा0 न्यूनतम

नोटः– ऊँचाई तथा सीने की माप में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का दावा किये जाने की दशा में अभ्यर्थियों को परिशिष्ट–3 के अनुसार प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04. अनिवार्य / वांछनीय अर्हताएं :–

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा में रक्षक के पदों हेतु अनिवार्य / वांछनीय अर्हता उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 एवं यथा संशोधन नियमावली, 2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

परन्तु शासन के पत्रांक 1097 / XXX(2) / 2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। **"उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार समूह 'ग' के पद हेतु केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है, जिसमें केन्द्र अथवा अन्य राज्य की सेवाऐं सम्मिलित नहीं है''।**

(ii) शासन के पत्रांक 809 / XXX(2) / 2010–3(1) / 2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।''

05. वेतनमानः– रू 19900–63200 (लेवल–2)

06. पद का स्वरूप व पेंशन योजनाः– अराजपत्रित / समूह 'ग' / अंशदायी पेंशनयुक्त।

07. आयु सीमा :–(क) रक्षक के पद पर आवेदन हेतु आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 है अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2005 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ख) उच्चतम आयु सीमा में छूट :– विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

08. राष्ट्रीयता : रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास के आशय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक , अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

09. चरित्र :– रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

10. वैवाहिक प्रास्थिति :– रक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसके एक से अधिक पति जीवित हों ;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

11. शारीरिक स्वस्थता :–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। पुरूष अभ्यर्थी की ऊँचाई और सीने की माप तथा महिला अभ्यर्थी की ऊँचाई और वजन का माप विज्ञापन के बिन्दु संख्या–**03 (न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड)** में दिये गये मानक से कम नहीं होना चाहिये। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में दिये गये मूल नियम–10 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

12. आरक्षण :–(क) उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर अनुमन्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्वाधर/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–4"** में मुद्रित निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–4"** में नहीं है, उसके संबंध में सम्बन्धित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया प्रमाण पत्र धारित किया जाना आवश्यक है।

(घ) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए सक्षम प्राधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

13. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में How to Apply लिंक पर क्लिक करें। How to Apply page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now बटन पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् Registration फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक् परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details अथवा Proceed to next Step बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर Essential Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate, Graduation, Post Gradudation व अन्य शैक्षिक अर्हताएं का विवरण भरें एवं Add Education Details पर क्लिक करें, भरा गया विवरण Add Education Details के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा।

एक से अधिक Graduation/Post Gradudation को भरने की स्थिति में Clear पर क्लिक कर Graduation/Post Gradudation Details में Qualification Type में पुनः Graduation/Post Gradudation का चयन कर विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य विवरण भर कर Submit पर क्लिक करें। उसके पश्चात दी गयी ˘तदपदह का सम्यक अध्ययन कर Continue बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात Upload Images पर क्लिक कर Photo, Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। अपलोड करने के पश्चात Photo एवं Signature को Cropping tool की सहायता से I want to crop Images Photo and Signature का विकल्प चयन कर सही किया जा सकता है अथवा अभ्यर्थी Images uploaded are correct पर क्लिक कर Photo एवं Signature को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु Click here to Make Payment पर क्लिक करें। I Agree पर Tick करने के पश्चात Pay Now पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन–पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। किन्तु इस दशा में रद्द किये गये आवेदन पत्र का जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द **(Cancel)** करने के लिये Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें। Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसको कि Enter OTP वाली फील्ड्स पर दर्ज कर Cancel Applicationl बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Cancel)** करने के पश्चात उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1. आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information , Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड कर सकते हैं। **ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल न0 को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी** ukpschelpline@gmail.com **पर ई–मेल कर सकते हैं।**

2. आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

3. परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से जमा किया जा सकता है। **(उक्त परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 26.55 रूपये है।)**

4. उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ अभ्यर्थियों हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। परन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में डाटा भरने के बाद Click here for Final Submission पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

14. शुल्क :–प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है। उक्त निर्धारित ऑनलाइन माध्यमों के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से जमा किया गया परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा :–

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Aplication Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 150 / –	रू0 26.55 / –	रू0 176.55 / –
02	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150 / –	रू0 26.55 / –	रू0 176.55 / –
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 150 / –	रू0 26.55 / –	रू0 176.55 / –
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रू0 60 / –	रू0 26.55 / –	रू0 86.55 / –
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रू0 60 / –	रू0 26.55 / –	रू0 86.55 / –
06.	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	–

नोट :– उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थी एवं पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग / श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

15. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों / नियमावलियों / मैनुअल्स / मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के पश्चात **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के भाग–नौ में विहित प्राविधानों के अनुसार अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया जाएगा।** अभिलेख सत्यापन हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) **ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं अभिलेखों की सन्निरीक्षा हेतु मार्गदर्शिका–2022** में विहित प्राविधानों के आलोक में सम्पन्न की जायेगी।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा / न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा के पश्चात तत्समय आवेदन–पत्र / प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों / अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना

आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी।

(04) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** पर प्रकाशित की जायेगी।

(05) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत **'अनापत्ति प्रमाण–पत्र'** अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(06) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर चयन के अन्तिम चरण तक किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई–मेल ukpschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता लिखित परीक्षा/न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। लिखित परीक्षा में एक सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिन्दी आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। लिखित परीक्षा/न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(08) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार नगर) के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की दशा में परीक्षा केन्द्र के नगरों में संशोधन किया जा सकता है। न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में किया जायेगा।

(09) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड –** वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड के रुप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड के रुप में काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा उक्त प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय

विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(11) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(12) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर प्रश्नगत परीक्षा एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(13) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित –** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(14) **परीक्षा केन्द्र में आचरण –** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(15) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)–** सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा के उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(16) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन / परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(17) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(18) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग द्वारा प्रेषित चयन संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(19) अभ्यर्थी के हाईस्कूल प्रमाण–पत्र या अंक पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** यथा संशोधित –2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(21) **<u>कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः–</u>** अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(22) **अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः–** 1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो, कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पत्रक पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पत्रक का फाड़ना, उत्तर पत्रक को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(23) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(24) यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(25) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(26) अभिलेख सत्यापन के समय यदि अभ्यर्थी द्वारा अर्हता के संबंध में किये गये दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(27) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(28) आयोग द्वारा परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अनुसार तैयार किया जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति प्रेषित की जायेगी।

(29) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(30) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

"परिशिष्ट–1"

विषय :: सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय–2 घंटे **अधिकतम अंक–100**

खण्ड–1 : सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

अधिकतम अंक–75 **प्रश्न की संख्या–75**

1 **सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी :** सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे। **15 अंक**

2 **भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन :** भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित होंगे। **07 अंक**

3 **भारतीय राज्य व्यवस्था :** भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे। **06 अंक**

4 **भारत का भूगोल एवं जनांकिकी :** इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारस्थितिकीय, सामाजिक–आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होंगे। **07 अंक**

5 **सम–सामयिक घटनाएं :** इसके अन्तर्गत प्रश्न उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे। **07 अंक**

6 **उत्तराखण्ड का इतिहास :** उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका। **06 अंक**

7 **उत्तराखण्ड की संस्कृति :** जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, परम्पराएं एवं रीति–रिवाज, वेश–भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, नृत्य, गायन **06 अंक**

एवं वाद्य यंत्र, खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित होंगे।

8 **<u>उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी:</u>** भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी एवं बागवानी, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एंव मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन, जल संकट और जलागम प्रबन्धन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन, उत्तराखण्ड की जनसंख्याः वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन। **08 अंक**

9 **<u>उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन</u>–** प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ। **07 अंक**

10 **सामान्य बुद्धि परीक्षण** :: सामान्य बुद्धि परीक्षण के अन्तर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है। **06 अंक**

Subject :: <u>General Knowledge, General Studies and General Hindi</u> (Objective Type)

Time : 2 Hours **Maximum Marks : 100**

<u>Part -1 : General Knowledge and General Studies</u>

Maximum Marks-75 **Total Questions-75**

1 **General Science and Knowledge of Computer Operation:** Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day to day observation. **15 Marks**

2 **History of India and Indian National Movement:** Questions on history of India and Indian National Movement will be based on general understanding of ancient, mediaeval and modern India and India’s freedom movement. **07 Marks**

3 **Indian polity:** Questions on Indian polity will be based on Indian polity, Constitution and Panchayati raj. **06 Marks**

4 **Geography and Demography of India:** Questions will be based on a general understanding of geographical, ecological, socio-economic aspects and demography of India. **07 Marks**

5 **Current Events:** Questions will be based on important current events of Uttarakhand State and National. **07 Marks**

6 **History of Uttarakhand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; **06 Marks**

7 **Culture of Uttarakhand:** Question will be based on Castes and tribes, religious and folk beliefs, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, dances, songs, musical instruments, sports, tournaments and awards. **06 Marks**

8 **Geography and Demography of Uttarakhand:** Geographical Setup. Rivers, mountains, climate, soils, forest resources and horticulture and Major crops of Uttarakhand. Means of irrigation. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management, Environment and environmental movements. Population of Uttarakhand: Distribution, density, sex ratio, literacy and migration. **08 Marks**

9 **Economic and natural resoures :** Education system of the State and important educational institutes; tourism, minerals and industries. the position of utiliszation of resources. Various schemes being implemented in Uttrarakhand for the eradication of poverty and unemployment. **07 Marks**

10 **General intelligence test ::** In General Mental Ability, questions will includes test comprehension, reasoning and numerical ability. **06 Marks**

खण्ड–2 सामान्य हिन्दी
(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

प्रश्नों की संख्याः 25 **अधिकतम अंक 25**

स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम–व्याकरण विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिह्न।

परिशिष्ट–2

रक्षक, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा–2023 के सापेक्ष लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक निम्नवत हैं :–

क्र.सं.	आरक्षण की श्रेणी	लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित श्रेणी	45%

<u>परिशिष्ट–3</u>

शासनादेश संख्या–256 / 18–प्रा0शि0–2–88–20 / 82, दिनांक 16.07.1982 ऊँचाई एवं सीने की नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी...पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती...ग्राम......................तहसील / तालुका................................. जिला...........................राज्य...के स्थायी निवासी हैं।

उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्कमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मिजो, नागा के मूल वंश और अरूणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पिति और मेघालय अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई एवं सीने की मापतौल में छूट दी गयी है।

स्थान...............................
दिनांक.............................

हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

पदनाम

पदनाम की मुहर

नोटः कृपया जो लागू हो उस पर सही (✓) का निशान लगायें।

"परिशिष्ट–4"

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथाअथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र का पुत्री)/(विवाहित/अविवाहित) और पुत्री के पुत्र/पुत्री उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम..................................

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

(सील) ....

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.................................वर्ष..............................हेतु मान्य दिनांक..............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पत्नी/पुत्री..ग्राम/मुहल्ला... पोस्ट ऑफिस...जिला...पिन कोड.................................. उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.................................की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक **₹** 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी...जो कि..जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम...

पदनाम...

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

<u>परिशिष्ट–5</u>

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन निम्न नगरों में किया जाएगा–

क्रम सं0	**नगर (जिला)**
1	हल्द्वानी (नैनीताल)
2	हरिद्वार (हरिद्वार)

नोट– 1. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन परिशिष्ट–5 के अनुसार हल्द्वानी व हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु सीमित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उक्त परीक्षा का आयोजन केवल हरिद्वार नगर में किया जायेगा।

2. अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की दशा में परीक्षा केन्द्र के नगरों में संशोधन किया जा सकता है।

3. न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड परीक्षा का आयोजन केवल हरिद्वार नगर में किया जाएगा।